कार्यवाही विवरण

मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में कोल वॉशरी क्षमता– 1.25 मिलियन टन/वर्ष से 2.0 मिलियन टन/वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 22.01.2019 दिन–मंगलवार, समय–12:00, स्थान–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत **मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में कोल वॉशरी क्षमता–1.25 मिलियन टन/वर्ष से 2.0 मिलियन टन/वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, बिलासपुर एवं नई दुनिया, बिलासपुर में दिनांक 06.09.2018 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दिनांक 07.09.2018 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक **22.01.2019 दिन–मंगलवार, समय–12:00 बजे,** अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में **स्थान–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ. ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर–बिलासपुर, जिला पंचायत कार्यालय–बिलासपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, कार्यालय नगर पंचायत सिरगिट्टी, कार्यालय नगर पंचायत बोदरी, कार्यालय नगर पालिका परिषद तिफरा, कार्यालय ग्राम पंचायत परसदा, कार्यालय ग्राम पंचायत बन्नाक, कार्यालय ग्राम पंचायत महमंद, कार्यालय ग्राम पंचायत कोरमी, कार्यालय ग्राम पंचायत बसिया, कार्यालय ग्राम पंचायत नगपुरा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिया पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ

ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 58 पत्र प्राप्त हुआ है एवं दो व्यक्तियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में उपस्थित होकर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं अधिशासी सारांश (हिन्दी) का अवलोकन किया गया।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक **22.01.2019 दिन–मंगलवार, समय–12:00** बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की अध्यक्षता में **स्थान–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री बी.एस. उइके, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पशचात परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री बेनी गुप्ता, **मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशनलिमिटेड, सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् कोल वॉशरी परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री रविकुमार श्रीवास, बन्नाक चौक सिरगिट्टी** :– मेरा जन्म भी इसी जगह हुआ है। इसी जगह क्रिकेट खेलता था। सरकार द्वारा हमको आश्वासन मिला था कि इस क्षेत्र का विकास ऐसा होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहां प्रदूषण की क्षमता बढी है। यहां टी. बी. और अस्थमा की बीमारी फैल रही है। सिरगिट्टी के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा रहा हैं। यह गोकने नाला का पानी हम पीते थे। हमारे माता बहने इसका पानी पीते थे। इससे खाना बनाते थे। लेकिन अब यहां का पानी पीने के बाद जानवर भी मर जा रहा है। ना ही इस क्षेत्र में कोई विकास हो रहा है और ना ही आम जनता के जीवन में। आम जनता के लिए स्वस्थ्य हवा की व्यवस्था नहीं हैं। फैक्टरी वाले यहां के कृषकों की जमीनों को औने–पौने दाम में ले रहे है, जिसके कारण कृषकों की सड़क पर आने की नौबत आ चुकी है। अपने जमीन से फसल लेने के बजाय कृषक फैक्टरी में रोजी मजदूरी कर रहा है । इसके बावजूद फैक्टरी की क्षमता क्यो बढा रहे है ? इससे आपके परिस्थिति में सुधार होगा किंतु सिरगिट्टी का विकास नहीं होगा। सिरगिट्टी नगर पंचायत में सांस लेना दुर्भर हो गया है। मै भी यहां का नागरिक हूॅ। फैक्टरी वालों ने वादा किया था कि सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और सुरक्षा प्रदान करेंगे। आम जनता का ध्यान रखा जायेगा। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में ध्यान दे। पशु पक्षी मर रहे है। यहां ना ही स्कूल है ना ही स्वास्थ्य केन्द्र है। खेल की जगह कब्जा करने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय ये जगह भी नहीं रहेगी। आम जनता को जागरूक होना चाहिए। यदि इण्डस्ट्रीज लग जायेगी और बहुमत भी मिल जायेगा परंतु इण्डस्ट्री से ना ही गोकने नाले का और ना ही सिरगिट्टी का सुधार हो रहा है। यहां के लोग सांस की बीमारी, लीवर, अस्थमा आदि बीमारी से मर रहे है। इसको ध्यान दे। आने वाला भविष्य उज्जवल हो। इस क्षेत्र में कितने पक्षियों का घोसला था जो वर्तमान में नहीं है आने वाले समय में यहां एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इण्डस्ट्री का मानक वायु प्रदूषण का पालन नहीं हो रहा है। इसको रद् करें नहीं तो आने वाले समय में सिरगिट्टी दिल्ली जैसा हो जायेगा। इण्डस्ट्री योगदान दें ताकि आने वाले भविष्य में जीवन यापन अच्छा हो। आपका विकास हो और आपके बच्चों का विकास हो। मैं चाहूंगा कि जो साथी बोलना चाहते है वह अपनी बात रखें।

2. श्री गुड्डू मिश्रा, बन्नाक चौक :– आपका स्वागत हो। बन्नाक चौक में जो प्रदूषण हो रहा है उससे तकलीफ है। सिरगिट्टी निवासी को कार्यक्रम के बारे में पता नहीं हैं कि यहां जन सुनवाई हो रहा है। यहां उपस्थित अधिकतर लोग इनके कर्मचारी है। यहां धूल बहुत ज्यादा हो रहा है। जब मुझे खाँसी हुई तो मैं डाक्टर से चेक कराया तो वो बोले मुझे अस्थमा हो गया है। दो–चार लोगों को छोड़ कर बाकी उद्योग के कर्मचारी है। उद्योग से आपत्ति है। पानी का लेबल 350 फीट चला गया है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। भविष्य में प्रदूषण और पानी की समस्या बढेगी।

3. श्री देवसिंह प्रधान, भूतपूर्व पंच, बन्नाक चौक :— यहां पर जितने भी भूसी वाले कंपनी है। भूसी का उपयोग करते है। जिससे बहुत धूल धक्कड होता है इससे लोगों को तकलीफ हो रही हैं। भूसी लोगों के आंख में पड़ता है जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती हैं। कोल वॉशरी से कोई तकलीफ नहीं है यह लोगों को रोजगार दे रहा है। कोल वॉशरी से 2000 लोगों का परिवार पल रहा है। ऑयल मिल, वंदना और कई कंपनियों है जो धूल उडाते है।

4. श्री नरेन्द्र कुमार कौशिक, ग्राम परसदा :—जो लोग बोलते है प्रदूषण तो हो रहा है लेकिन रोजगार भी बढ़ रहा है। कोल वाशरी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके क्षमता विस्तार से भी मुझे कोइ आपत्ति नहीं है।

5. श्री गौरव रजक, परसदा :—हम परसदा वासियों को फैक्टरी से कोइ तकलीफ नहीं है और न क्षमता विस्तार पर कोइ आपत्ति है।

6. श्री पंकज शर्मा, लाफार्ज सीमेंट, अमोरा, :— मुझे यहां डेढ़ साल हो गया काम करते। यहां पर छत्तीसगढ़ पॉवर एण्ड कोल बेनिफिकेशन के खुलने से ही नहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, इतने पॉवर प्लांट हो गये है कि इन्ही से नदी, तालाब, हवा में प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि पूरे वातावरण में समाया हैं। प्रशासन द्वारा पेड़ लगया जा रहा है। एन.एच. के लिए लाखो पेड़ों का बली दिया गया। पौधे बड़े वृक्ष बन जाते है। उसके लिए टाईम लगता है। बड़े वृक्षों को न काटा जाये। मैं अपील करता हूं कि पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाये। रोड से उडने वाले धूल बहुत प्रदूषण करते है। यह लोगों के आंख में जाता है और एक्सीडेंट होता है। बोलना तो और चाहता हूं लेकिन सब मिलकर बोलिए आपको यहां रहना है। शहर में जितना प्रदूषण है उतना गांव में प्रदूषण है। ये प्रदूषण कैसे खत्म होगा। प्रशासन को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया है।

7. श्री शैलेन्द्र कुमार रात्रे, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, अभिलाषा परिसर :— नमस्ते मुझे कॉलोनी के सामने कोल डिपो से ज्यादा तकलीफ है। हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इससे डस्ट आता है। यहां बहुत डस्ट है। बच्चों को सर्दी, जुकाम और खाँसी हो रहा है। अपने बच्चे को डाक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर साहब बोले बच्चे के शरीर में तो डस्ट आ गया। बच्चे बीमार पड़ रहे है इस समस्या का पहले समाधान करें। अभी तक धूल के कण वायु में ही थे परंतु अब जल में भी आ गया है।

8. श्री पुष्पेंद्र कुमार साहू, वार्ड नं. 5 सिरगिट्टी :– आसपास के नगर पंचायत के जनता को सूचना दिये है कि सिरगिट्टी में लोक सुनवाई है। आस–पास के लोगों को इसका पता नहीं है। मै इसका पूर्ण विरोध करता हूं। नाला में पहले साफ पानी बहता था अब कोल वॉशरी का धूल वाला पानी गोकने नाला में बहाया जा रहा है। मै किसान का बच्चा हूॅ। पहले हम नाला का पानी खेती किसानी व नहाने के लिए उपयोग किया करते थे अब नाले के पानी का कोइ उपयोग नहीं है। अगल बगल की जमीन बंजर हो चुकी है। मै इसका विरोध करता हूॅ। यहां कोई आयेगा भी नहीं विरोध करने के लिए।

9. श्री मनोज पाल वार्ड नं. 14, सिरगिट्टी :– मैं मालिक से पूछना चाहूंगा आप फैक्ट्री को कितने दिनों से चला रहे है। आपने युवाओं के लिए क्या किया, प्र्यावरण के लिए क्या किया, खेल के लिए क्या किया। आपने फैक्ट्री के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन का पालन किया या नहीं किया। यह सब कागजी कार्यवाही के लिए है। क्षमता विस्तार के लिए टर्म्स में साइन कर देते है। आप ने इस साल के अंदर क्या किया है उसके संबंध में बता दें। मैं वार्ड नम्बर 14 का नागरिक हूं। हम लोग पर्यावरण के बचाव के लिए एन.जी.ओ. का संचालन करते है। आप लोग क्या करते है इसका लिखित में शिकायत करूंगा और फैक्ट्री में देकर जाऊंगा। आपने आज तक एक भी पौधा लगाया है आपने कागज में पेड़ लगाया है। हम डिस्प्ले कर के बतायेगें कि आप लोगों ने कैसे वृक्षारोपण किया है। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए ये सब कार्यक्रम कराते है और ये विस्तार के लिए ढकोसला है जमीनी हकीकत में लेकर आइये। अब तक का काम निन्दनीय है। मै एकदम से विरोध करता हूं और शिकायत करता हूँ कि आप ने इस क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया है।

10. श्री सोमनाथ पाण्डेय वार्ड नं. 12, सिरगिट्टी :– मैं इस कोल वॉशरी का विरोध करता हूँ क्षमता बढा रहे है इसकी जानकारी ना ही सिरगिट्टी को दी गई है और ना ही जनता को। यहां पर सिरगिट्टी के दो चार नागरिक है, बाकि सब यहां के कर्मचारी है। हम लोग यहां से जा रहे थे तो गुजरते हुए देखा कि कोल वॉशरी के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। किसी को जानकारी नहीं दिये है। आसपास के जनता को मालूम नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता को क्या प्राफिट होने वाला है। इस क्षेत्र में गंदा पानी छोडा जा रहा है। यहां 4–5 वार्ड में पानी नहीं है। आप पानी ही खींच रहे है।आपने कौन कौन से क्षेत्र में ग्रीन क्षेत्र बनाया है। यहां के कितने आदमी को रोजगार दिया जा रहा है ? सिरगिट्टी को कोल वॉशरी से नुकसान है। मैं और हमारा एन.जी.ओ. इस कोल वाशरी का विरोध करता हूॅ। इस कोल वॉशरी को बढने नहीं दिया जाये।

11. श्री पवन साहू, वार्ड क्र.–05 सिरगिट्टी :– मैं यहां से जा रहा था तो देखा कि जन सुनवाई हो रही है। क्या जनसुनवाई में ऐसा होता है कि फैक्ट्री के कर्मचारियों को बैठा दिया जाता है। क्या सिरगिट्टी एव आस–पास के गांव में खबर किया गया है। यहां सिरगिट्टी के निवासी नहीं बल्कि इनके कर्मचारी है।

क्या फैक्ट्री के कर्मचारी ही बतायेंगे आस–पास के निवासी बिमारी से मर रहे है। सिरगिट्टी में बहुत धूल हो रहा है जिससे एक्सीडेंट हो रहा है। अधिकारी बैठकर जन सुनवाई कर रहे है। सिरगिट्टी में 10 फीट में पानी आता था अब 300 फीट में नहीं है। हम फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। ऐसी फैक्ट्रियां लगे, जिससे रोजगार मिले। इससे काला डस्ट है, पानी की समस्या हैं आपने क्या किया है एक भी बोर में पानी नहीं है। ऐसी फैक्ट्री लगे जिसमें पानी का उपयोग नहीं हो। मै इसका घोर विरोध करता हॅू । 100 आदमी जीने के लिए हजार आदमी को मारना चाहते है। कोल वाशरी का गंदा पानी जा रहा है। फैक्टी के आस–पास पूरा काला–काला है रोड के उपर में परसदा से सिरगिट्टी के रोड़ में जाकर देखीये, 6–6 इंच धूल उड रहा है। यहां की जनता कहां है। ऐसे फैक्टरी को गांव व शहर से 4–5 किलो मीटर दूर लगाया जाये। आप नगर पंचायत सीमा में फैक्ट्री लगा रहें है। मै ये चाहूंगा कि ये फैक्टी यहां न लगे। मैं इस फैक्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। इसको शहर से दूर में लगाया जाये।

12. श्री बसंत अवस्थी, वार्ड नं. 03 :–लोगों को बरगलाया जा रहा है। किसान के पास पूछने के लिए तक नहीं जाते है, फैक्ट्री वाले लोग। इनसे कौन लड़ सकता है ? किसी नेता की गाडी नहीं दिख रही है सभी इतने भ्रष्ट हो गये है। मैंने देखा कि परिस्थिति इतनी विकराल है। आसपास कोरमी, बसिया के लोग कहां है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि गलत तथ्यों पर विचार कर के आवाज उठाइये ताकि किसी भी ऐसी औद्योगिक प्रयोजकों से बीमारी न फैलें। अपने गांव व पंचायत में जो भी गलत हो रहा है, अपनी अवाज उठाते रहिए। ऐसी बीमारियो न हो। 35 हजार 40 हजार का प्रलोभन दिया जा रहा है और किसानो को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे जानवरो के लिए चारागाह नहीं है। छोटे पौधे को भी काट देते है। पौधों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिये वर्ना अगली पीढी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे।

13. श्री मुकेश केडिया :– सबसे पहले काम मिलना चाहिए। लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जो फैक्टी खुल रही है उसको बंद कराने के लिए तुले हुये है। क्या होगा हमारे सिरगिट्टी का। बिना रोजगार के कहां जायेगें। कितने लोगों को रोजगार दिया है। यहां रोजगार मिलता है। बंद करोगे तो रोजगार कहां से मिलेगा। मुझे अपनी बात रखने दिजिये। हमको बुलाया गया है, जन सुनवाई में आये है। हम आम आदमी है। हम अपनी समस्या को झेल रहे है। इतने परेशान है, हम बेरोजगार है। बेरोजगारी के चक्कर में लोग अपराधी बन रहे है। मै सरकार से अपील करूंगा बड़ी से बड़ी फैक्ट्री खुले। मैं अपनी बात रखूंगा। हमको रोजगार चाहिए। फैक्टी चाहिए।

<u>हंगामा होने लगा, लोग नारे बाजी करने लगे।</u>

14. श्री प्रकाश दुबे, वार्ड नं. 03 :– यहां पहले माहेश्वरी का घोर विरोध हुआ था। फैक्ट्री स्थापित है वहां कम से कम 7–10 कि.मी. के अंतर्गत् वन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। 10 कि.मी. के अंदर तालाब नहीं होना चाहिए। सिरगिट्टी में 08–09 तालाब है। साफ पानी नहीं है। मै लगभग 14–15 साल का था तो 14 फीट में पानी मिलता था। रोजगार की बात कर रहे है कितने लोगों को रोजगार मिला है। अस्थमा, दमा कैंसर, क्यों होता है ? और कितने हेल्थ कैम्प चलाते है। गांव क्षेत्र के अंतर्गत क्या विकास हुआ है ? इसका हिसाब चाहिए। हम विरोध क्यों करते हैं ? कि इसका कारण जानना चाहिए। इनके द्वारा प्रदूषण के लिए क्या व्यवस्था की गयी है। रोड नहीं बनी है। और पानी के लिए नहीं सोच रहें है। सिरगिट्टी नगर पंचायत में कितना फंड मिला है। विस्तार से तकलीफ नहीं हैं मुनादी किसके माध्यम से हुई है अगर नहीं हुई है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब यहीं के लोग नहीं है तो इसका क्या मतलब। खाली कुर्सियों को देख के समझ आ गया होगा कितने लोग यहां के है। परसदा, कोरमी व सिरगिट्टी के 10–12 लोग है। आप विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते है। मै इस चीज का विरोध करता हूं कि जब तक ठोस व्यवस्था न बने तब तक फैसला न हो।

15. श्री राजकुमार कौशिक, लिटिल हेल्थ सोसायटी, सिरगिट्टी :–मै इस लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ।

16. श्री नंद कौशिक, परसदा :– हम उपस्थित हैं। कंपनी 1.25 मिलियन टन को 2.0 मिलियन टन करना चाहती है। मेरा सुझाव है कि क्षमता बढ़ने से रोजगार मिलें। हमको लिखित में रोजगार की गांरटी मिले। कम्पनी के द्वारा नाले में एनीकट की व्यवस्था कि जाये जिससे कंपनी द्वारा नाले के पानी का रिसर्कुलेशन किया जा सके। सिरगिट्टी क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हैं। ए.डी.एम साहब एस.डी.एम साहब इसको ध्यान दीजिये। इंडस्ट्री से रोजगार मिलेगा लेकिन नियमतः लगना चाहिए। नियम का पालन नहीं करने वाले फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। स्थानीय को रोजगार दीजिए। पर्यावरण का ध्यान दीजिए। नाले के पानी का उपयोग किया जाये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 2.30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री सुधीर सिंह, **मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2.45 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 13 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 16 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 84 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर

उपस्थिति पत्रक

मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशनलिमिटेड, सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में कोल वॉशरी क्षमता–1.25 मिलियन टन/वर्ष से 2.0 मिलियन टन/वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 22.01.2019 दिन–मंगलवार, समय–12.00 बजे, स्थल–सिरगिट्टी थाना के पीछे स्थित खुली भूमि पर तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई हेतु जनसमुदाय की उपस्थिति पत्रक :–

क्र.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		

33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		

45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		

57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		

69.		
70.		
71.		
72.		
73.		
74.		
75.		
76.		
77.		
78.		
79.		
80.		

81.		
82.		
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		
91.		
92.		

93.		
94.		
95.		
96.		
97.		
98.		
99.		
100.		
101.		
102.		
103.		
104.		

105.		
106.		
107.		
108.		
109.		
110.		
111.		
112.		
113.		
114.		
115.		
116.		

117.		
118.		
119.		
120.		
121.		
122.		
123.		
124.		
125.		
126.		
127.		
128.		

129.		
130.		
131.		
132.		
133.		
134.		
135.		
136.		
137.		
138.		
139.		
140.		

141.		
142.		
143.		
144.		
145.		
146.		
147.		
148.		
149.		
150.		
151.		
152.		

153.		
154.		
155.		
156.		
157.		
158.		
159.		
160.		
161.		
162.		
163.		
164.		

165.		
166.		
167.		
168.		
169.		
170.		
171.		
172.		
173.		
174.		
175.		
176.		

177.		
178.		
179.		
180.		
181.		
182.		
183.		
184.		
185.		
186.		
187.		
188.		

189.		
190.		
191.		
192.		
193.		
194.		
195.		
196.		
197.		
198.		
199.		
200.		

201.		
202.		
203.		
204.		
205.		
206.		
207.		
208.		
209.		
210.		
211.		
212.		

213.		
214.		
215.		
216.		
217.		
218.		
219.		
220.		
221.		
222.		
223.		
224.		

225.		
226.		
227.		
228.		
229.		
230.		
231.		
232.		
233.		
234.		
235.		
236.		

237.		
238.		
239.		
240.		
241.		
242.		
243.		
244.		
245.		
246.		
247.		
248.		

249.		
250.		
251.		
252.		
253.		
254.		
255.		
256.		
257.		
258.		
259.		
260.		

261.		
262.		
263.		
264.		
265.		
266.		
267.		
268.		
269.		
270.		
271.		
272.		

273.		
274.		
275.		
276.		
277.		
278.		
279.		
280.		
281.		
282.		
283.		
284.		

285.		
286.		
287.		
288.		
289.		
290.		
291.		
292.		
293.		
294.		
295.		
296.		

297.		
298.		
299.		
300.		
301.		
302.		
303.		
304.		
305.		
306.		
307.		
308.		

मेसर्स छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, सिरगिट्टी इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में कोल वॉशरी क्षमता–1. 25 मिलियन टन / वर्ष से 2.0 मिलियन टन / वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आपके पत्र कमांक 6757 दिनांक 14.12.2018 के अनुक्रम में लोक सुनवाई आपकी अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2019 को आयोजित की गई। तद्‌नुसार कार्यवाही विवरण संलग्न कर कृपया अवलोकानार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विडियोग्राफर

क्षेत्रीय कार्यालय

छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल,

बिलासपुर (छ.ग.)

फोटोग्राफर

क्षेत्रीय कार्यालय

छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल,

बिलासपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कार्यालय

छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल,

बिलासपुर (छ.ग.)